प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 28 नवम्बर, 2024

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सत्यवीर पुत्र श्री बटेश्वरी लाल, निवासी जनपद-फिरोजाबाद की फार्म-ए/लाइसेंस की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-9988/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/आ0प्रस्त0/2023 दिनांक-23.03.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सत्यवीर पुत्र श्री बटेश्वरी लाल, ग्राम नंगला ग्वालियर थाना-सिरसागंज, जनपद-फिरोजाबाद का निवासी है। वादी की बहन का 10 साल से भरण पोषण का मुकदमा चल रहा था। एक माह पूर्व बन्दी अपनी पत्नी को अपने घर लाया और दिनांक 15.05.2007 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पेट्रोल छिडक कर अपनी पत्नी श्रीमती राजनश्री की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु 130/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-01, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 17.07.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 10.02.2022 तक 14 वर्ष, 08 माह, 06 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 12 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज व व्यक्ति विशेष को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि वादी की बहन का 10 साल से भरण पोषण का मुकदमा चल रहा था। एक माह पूर्व बन्दी अपनी पत्नी को अपने घर लाया और दिनांक-15.05.2027 को अपने 03 सहअभियुक्तो के साथ मिलकर पैट्रोल छिड़क कर अपनी पत्नी श्रीमती राजनश्री की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होन का अंकन जनपदीय अधिकारितयों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सत्यवीर पुत्र श्री बटेश्वरी लाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सत्यवीर (बन्दी संख्या-17856) पुत्र श्री बटेश्वरी लाल, निवासी जनपद-फिरोजाबाद के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-309/2024/650(1)/22-2-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) सं0-529/2021 सोनाधार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश 09.02.2022 तथा संशोधित आदेश दिनांक 23.02.2022 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-309/2024/650/22-2-2023-17(1394)/2022

दिनांक 28 नवम्बर, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सत्यवीर पुत्र श्री बटेश्वरी लाल, ग्राम नंगला ग्वालियर थाना-सिरसागंज, जनपद-फिरोजाबाद का निवासी है। वादी की बहन का 10 साल से भरण पोषण का मुकदमा चल रहा था। एक माह पूर्व बन्दी अपनी पत्नी को अपने घर लाया और दिनांक 15.05.2007 को अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पेट्रोल छिडक कर अपनी पत्नी श्रीमती राजनश्री की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु 130/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-01, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 17.07.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया बंदी द्वारा दिनांक 10.02.2022 तक 14 वर्ष, 08 माह, 06 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 12 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज व व्यक्ति विशेष को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने से इन्कार नहीं किये जाने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि वादी की बहन का 10 साल से भरण पोषण का मुकदमा चल रहा था। एक माह पूर्व बन्दी अपनी पत्नी को अपने घर लाया और दिनांक-15.05.2027 को अपने 03 सहअभियुक्तो के साथ मिलकर पैट्रोल छिड़क कर अपनी पत्नी श्रीमती राजनश्री की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होन का अंकन जनपदीय अधिकारितयों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सत्यवीर पुत्र श्री बटेश्वरी लाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।